लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलोनी, रोड़ नं0 02, चंदौती, जिलाः गया (गया फल्गू नदी बालू घाटः 09, मौजाः मंडौल, रौना और तारका, अंचलः गया टाउन सी0 डी0 ब्लॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिलाः गया) का गया जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 21.08.2023 को अपराह्न 03.:15 बजे अंचल कार्यालय, गया टाउन सी0 डी0 ब्लॉक, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2288/2023, dated 14.02.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 21.08.2023 को अपराह्न 03:15 बजे अंचल कार्यालय, गया टाउन सी0 डी0 ब्लॉक, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 19.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाटः 09, मौजाः मंडौल, रौना और तारका, अंचलः गया टाउन सी0 डी0 ब्लॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिलाः गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री चिकु शर्मा, पताः मंडौल, जिलाः गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाय, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जाय साथ ही स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
2.	श्री रंजीत कुमार यादव, पताः तिनारी, जिलाः गया।	इनके द्वारा वायु प्रदूषण की रोक–थाम एवं रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित

		होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने श्री रंजीत कुमार यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री दिपु कुमार, पताः मंडौल, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू की चोरी एवं ज्यादा गहराई तक बालू खनन से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। साथ ही बालू खनन सरकार के नियमानुसार किया जायेगा। अगर ज्यादा गहराई तक लेसी द्वारा की जाती है तो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से किया जा सकता है। इसप्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने श्री दिपु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री रंजीत कुमार, पताः रौना, जिलाः गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी के किनारे ज्यादा–से–ज्यादा वृक्षारोपण किया जाय जिससे मिट्टी का कटाव रूक सके। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।

5.	श्री अविनाश कुमार, पताः मंडौल, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धुल–कण एवं रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने श्री अविनाश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

21.8.23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,
गया

अपर समाहर्त्ता,
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं०: 02, चंदौती, गया द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट–09, मौजा–मंडौल, रौना और तारका, अंचल–गया टॉउन सी०डी० बलॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला–गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 21.08.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में गया टॉउन सी०डी० बलॉक, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजनि कुमार	अपर समाहर्ता गया	[signature] 21-8-23
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी बि० प्र० नि० पर्षद गया।	[signature]
3.	कुणाल कश्यप	खरमनचक, भागलपुर	Kunal
4.	अम्बुज शर्मा	मगध कॉलोनी रोड नं०-2 9473325705	[signature]
5.	Raushan Raj	रौना 9304799689	Raushan Raj
6.	सुबोध कुमार	मनडौल 9973956719	सुबोध कुमार
7.	संजय कुमार	रौना 9939211013	[signature]
8.	दीपक कुमार सिन्हा	तरका 7667642895	[signature]
9.	मनीष कुमार	मनडौल	Manish K

10.	विकाश कुमार सिंह	मन्डौल 7070913736	विकाश कुमार
11.	vivek kumar	रौना. 9934376222	[signature] 21/8/23
12.	अमित कुमार	मण्डौल 8210600466	अमित कुमार
13.	अनिल यादव	रौना 9801081899	[signature]
14.	अविनाश कुमार	8294812004 मण्डौल	अविनाश कुमार
15.	रजनीश कुमार	मंडौल 7484807089	Rajnish Ku
16.	Suresh yadav	टेका 8789334764	[signature]
17.	महेश यादव	रौना 8783424788	महेश यादव
18.	गोपाल कुमार	रौना 8809570302	[signature]
19.	राकेश कुमार	मंडौल 9771114385	Rakesh Kumar
20.	गोपाल कुमार	मंडौल	गोपाल कुमार

21.	Shiva Kumar	मंडौल	~~Siko~~ Shiva ku
22.	Vikul Kumar	मंडौल	[signature]
23.	Sunny	mandeul	Sunny [illegible]
24.	रजनीश कुमार	मंडौल	रजनीश
25.	Diku singh.	Rauna.	Diku
26.	छोटु सिंह	Rauna	~~Rauna~~ Chotu Singh
27.	उमा सिंह	महादेव विद्या रौना	उमा सिंह
28.	बबलु शर्मा	मंडौल	बबलु शर्मा
29.	उमेश यादव	तेलबिघा	उमेश यादव
30.	सोनी सिंह	मंडौला	सोनी
31.	संजय यादव	तेलबीघा	संजय

32.	रामसेवक मंडल	[illegible]	[illegible]
33.	पप्पु कुमार	रौना 9958228815	पप्पु कुमार
34.	प्रमोद कुमार	8987024758 रौना	प्रमोद कुमार
35.	SATISH SHARMA	RAUNA 9971818584	[illegible]
36.	Satish Kumar	लखना 9572532396	Satish Kum
37.	Karan Kumar	लखना 9341082353	Karan Kumar
38.	Sonu Singh	रौना 6205773752	Sonu Singh.
39.	Amit Kumar	मंझौल 7739952653	Amit Kum
40.	Gelu Kumar	मंझौल 6204757165	Gelu Kumar
41.	VISHAL KR.	MANJHAUL. 6204500428	[illegible]
42.	Rahul Yadav	Rouna 8002879541	[illegible]

43.	monty yadav	मंडोल 9199086335	monty
44.	Deepak Kumar	रौना 7033125935	[illegible]
45.	Kundan Kumar	रौना 7484816188	[illegible]
46.	चीकु शर्मा	8210600466 मंडोल	[illegible]
47.	रंजीत यादव	तीनेरी 9631070746	रंजीत यादव
48.	राहुल गुप्ता	रौना 8825173859	राहुल गुप्ता
49.	मुकेश कुमार	8809354347 रौना	[illegible]
50.			